UPJB010005142026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
फौजदारी निगरानी सं०–46/2026
दिवेश कुमार बनाम अनुज आदि

आदेश

दिनांकः–30.06.2026

फौजदारी निगरानी की पत्रावली सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई। निगरानीकर्ता अधिवक्ता सहित उपस्थित है। विपक्षीगण पर आदेश दिनांक 07.04.2026 से नोटिस की तामील प्राप्त मानी जा चुकी है , परंतु विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

02. इस निगरानी के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–द्वितीय के आदेश दिनांक **22.01.2026** को प्रश्नगत किया गया है , जिसके द्वारा परिवाद संख्या 824/2025 दिनेश कुमार बनाम अनुज आदि थाना डिडौली के मामले में जांच के उपरांत विपक्षीगण अनुज कुमार एवं तरुण को धारा 316(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत तलब किया गया है।

03. निगरानीकर्ता की यह आपत्ति है कि तलब किये गये विपक्षी अनुज कुमार का पिता सुशील कुमार मुख्य षड्यंत्रकारी था , परन्तु उसे तलब नहीं किया गया है तथा गंभीर धाराओं में भी तलबी नहीं की गयी है , जबकि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध था , इसलिए प्रश्नगत आदेश त्रुटिपूर्ण है। आदेश को निरस्त करते हुए धारा 316(2) एवं धारा 318 बी.एन.एस. के अंतर्गत तीनों विपक्षीगण को तलब करने का आदेश पारित किया जाये।

04. इस मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी के द्वारा थाने में दी गई इस सूचना पर कि अप्रैल व मई 2023 में अनुज , तरूण व सुशील ने फौज में नौकरी लगवाने के लिए फौजी अफसरों से जानकारी होना दर्शाकर फौजी अफसरों को मिठाई व उपहार आदि में 8 लाख रूपये खर्च करने का कहकर , दो लाख रूपये प्राप्त कर लिए। उसके बाद एक अवसर पर 60 हजार तथा दूसरे अवसर पर 5,40,000/– रूपये खाते में ट्रांसफर कराकर कुल 8 लाख रूपये प्राप्त करने के पश्चात फर्जी नियुक्ति–पत्र दे दिया। यह घटना थाना डिडौली पर अपराध संख्या 397/2024 अंतर्गत धारा 406 एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज हुयी , जिसमें पुलिस द्वारा अंतिम आख्या प्रेषित की गई। अंतिम आख्या के विरुद्ध दाखिल प्रोटेस्ट पिटीशन की सुनवाई के उपरांत अंतिम आख्या निरस्त कर प्रोटेस्ट पिटीशन को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया तथा परिवादी/निगरानीकर्ता के बयान लेने के उपरान्त तीनों विपक्षीगण में से दो विपक्षीगण अनुज एवं तरुण को धारा 316(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत तलब करने का आदेश पारित किया गया जिससे परिवादी संतुष्ट नहीं हुआ। परिवादी के अनुसार तीसरे विपक्षी सुशील कुमार की भी तलबी होनी चाहिए थी तथा धारा 316(2) बी.एन.एस. के साथ धारा 318 बी.एन.एस. के अंतर्गत भी तलबी की जानी चाहिए

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.30 16:43:15 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थी। अतः इस प्रश्नगत आदेश से क्षुब्ध होकर यह फौजदारी निगरानी परिवादी के द्वारा दायर की गई है।

05. इस निगरानी के निस्तारण के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं—

(I). फौज में नौकरी लगवाने के लिए फौजी अफसरों पर मिठाई व उपहार आदि के लिए खर्च करने का धोखा देकर 08 लाख रूपये प्राप्त करने की घटना तथा उसके उपरांत फर्जी नियुक्ति–पत्र उपलब्ध कराने की घटना वर्ष 2023 की बताई गई है , जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 दिनांक 01.07.2024 से लागू हुई है। इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 397/2024 भी धारा 406 एवं 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज हुई थी , जिसमें भेजी गई अंतिम आख्या को निरस्त करते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन को परिवाद के रूप में दर्ज करने के उपरांत यह तलबी आदेश पारित किया गया है , इसलिए बी.एन.एस. के अंतर्गत तलबी किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

(II). परिवाद और निगरानी याचिका की मद संख्या 7 से बताया गया घटनाक्रम यह है कि–

"निगरानीकर्ता का बेटा सनी फौज में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। अप्रैल 2023 में एक प्रोग्राम में निगरानीकर्ता का परिचय विपक्षीगण अनुज व तरुण पुत्रगण सुशील कुमार से हुआ। अनुज ने बताया कि उसकी बैंगलोर में फौजी अफसरों से काफी जानकारी है तथा वह निगरानीकर्ता के बेटे की वहीं पर अकाउंट की शाखा में बाबू की नौकरी लगवा सकता है। उसके बाद मई 2023 के पहले हफते तक उक्त दोनों से कई बार मुलाकात हुई तथा उन दोनों के अलावा उनके पिता सुशील कुमार ने भी इस संबंध में काम कराने की गारंटी दी तथा अपने अफसरों की मिठाई , उपहार आदि के लिए कुछ खर्च करने की बात कही। निगरानीकर्ता के पूछने पर लगभग ₹8,00,000/– की बात की। इस पर विश्वास करके निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या–2 तरुण कुमार को खाद–बीज की दुकान की बिक्री में से ₹2,00,000/– निकालकर महेन्द्र व इब्ले हसन के सामने दिए। बाद में और पैसों की मांग करने पर निगरानीकर्ता के बेटे कनिक के खाते से दिनांक 17.05.2023 को ₹60,000/– तथा दिनांक 19.05.2023 को ₹5,40,000/– विपक्षी संख्या–1 अनुज के खाते में ट्रांसफर किए।"

इस कथानक से यह स्पष्ट हो रहा है कि फौजी अफसरों से जानकारी का लाभ लेकर तथा फौजी अफसरों को मिठाई और उपहार देकर फौज में नौकरी लगवाने की योजना निगरानीकर्ता तथा अनुज, तरुण एवं सुशील कुमार के द्वारा तैयार की गई। इस योजना में निगरानीकर्ता का पुत्र भी सम्मलित हो सकता है , परन्तु इस स्तर पर स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में पुत्र को लाभ भी दे दिया जाये तब भी निगरानीकर्ता की संलिप्त्ता स्वयं निगरानीकर्ता के द्वारा दाखिल परिवाद व निगरानी याचिका में अंकित कथनों के अनुसार ही स्पष्ट है।

(III). भारतीय दंड संहिता की धारा 120–क आपराधिक षडयन्त्र को परिभाषित करते हुए यह कहती है कि – जब दो या दो से अधिक व्यक्ति–

1. कोई अवैध कार्य अथवा ,
2. कोई ऐसा कार्य , जो अवैध नहीं है , अवैध साधनों द्वारा करने या कराने के लिए सहमत होते हैं ,

तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयन्त्र कहलाती है।

उपरोक्तानुसार इस मामले में अवैध साधनों का प्रयोग करके फौज में नौकरी लगवाने की सहमति जिन चार व्यक्तियों के मध्य बनी है , वे चार व्यक्ति हैं–

1. स्वयं निगरानीकर्ता दिवेश कुमार ,

2. सुशील कुमार ,

3. अनुज व

4. तरुण ,

परंतु प्रश्नगत आदेश से केवल अनुज और तरुण को ही तलब किया गया है। सुशील कुमार व निगरानीकर्ता को किस कारण से आपराधिक दायित्वों से बाहर कर दिया गया , इसके किसी कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(IV). यदि किसी अपराध का अपराधी या दुष्प्रेरक या षडयन्त्रकर्ता उस अपराध के संबंध में आपराधिक अभियोग पंजीकृत करा देता है तो केवल अभियोग पंजीकृत कराने के आधार पर वह अपने आपराधिक दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता है। यदि ऐसी अनुमति दे दी गयी तो अपराध करने वाला व्यक्ति स्वयं ही जाकर वादी के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा देंगे और इस व्यवस्था का लाभ ले लेंगे कि वे वादी हैं , इसलिए उनके विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

06. उपरोक्त चारों बिंदु इस निष्कर्ष पर पहुँचा रहे हैं कि **प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.01.2026 त्रुटिपूर्ण है। अतः अपास्त किया जा रहा है।** विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि पुनः सुनवाई के उपरांत दिये गये दिशा–निर्देशों के प्रकाश में विधिसम्मत आदेश पारित किया जाये। **निगरानी उपरोक्तानुसार निस्तारित की जा रही है।**

कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

दिनांक–30.06.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–3
जनपद अमरोहा